FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

महेन्द्र सिंह आदि बनाम कुन्दन सिंह उर्फ पूर्ण सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 29 सन् 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2022	प्रार्थीगण महेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति रायसिख निवासी चक 6 डी धन्नूर तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह ने दावा‍पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 36/29 के मुरब्बा नम्बर 21 की जमाबन्दी** प्रस्तुत की। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थी संख्या 1** आगामी तारीख पेशी 14.06.2022 तक तहसील श्री करणपुर के **चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 36/29 के मुरब्बा नम्बर 21 की कुल 6.070 हेक्टैयर नहरी भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन एंव हस्तान्तरण नहीं करे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही** पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	